(64)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3305–पीबीआर/13 विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, इटारसी का आदेश दिनांक 5–8–2013 प्रकरण कमांक 12/अ–6/12–13 एवं तहसीलदार, इटारसी का आदेश दिनांक 23–8–13 प्रकरण कमांक 55/अ–6/12–13.

1– श्रीमती सुश्री बाई बेवा स्व. कुंज भवन सिंह ठाकुर
2– मुकेश आत्मज स्व. कुंज भवन सिंह ठाकुर
3– कल्लू उर्फ चंदन आत्मज स्व. कुंज भवन सिंह ठाकुर
4– अशोक आत्मज स्व. कुंज भवन सिंह ठाकुर
5– छोटू आत्मज स्व. कुंज भवन सिंह ठाकुर
निवासीगण सूरजगंज इटारसी
तहसील इटारसी जिला होशंगाबाद .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– नगेन्द्र सिंह आत्मज स्व. भुजबल सिंह
निवासी वार्ड नम्बर 14 सोनासांवरी रोड इटारसी
तहसील इटारसी जिला होशंगाबाद
2– श्रीमती कुसुम पुत्री स्व. भुजबल सिंह
पत्नी बिशन सिंह निवासी ग्राम नवलझिरी
तहसील व जिला बुरहानपुर
हाल निवासी कोलम्बिया कान्वेन्ट स्कूल के पास
सर्वसम्पन्न नगर कुसुमगंज 362, इन्दौर
3– श्रीमती शोभा राजपूत पुत्री स्व. भुजबल सिंह
पत्नी रमेश सिंह राजपूत
निवासी रेन्जर आफिस के सामने, बुदनी
तहसील बुदनी जिला सीहोर .....अनावेदकगण

श्री संदीप दुबे, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री बी0एन0 मिश्रा, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 14/2/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, इटारसी द्वारा पारित आदेश दिनांक 5–8–2013 एवं तहसीलदार, इटारसी द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–8–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकगण द्वारा तहसीलदार, इटारसी के आदेश दिनांक 19–3–94 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, इटारसी के समक्ष प्रस्तुत की गई । साथ ही संहिता की धारा 52 सहपठित धारा 32 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 5–8–2013 को अंतरिम आदेश पारित कर संहिता की धारा 52 सहपठित धारा 32 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र निरस्त करने के पश्चात आवेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय में व्यवहार प्रकिया संहिता की धारा 10 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 23–8–2013 को अंतरिम आदेश पारित कर आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । आवेदकगण की ओर से इन्हीं आदेशों के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जब प्रकरण सुनवाई हेतु पंजीबद्ध किया गया था तब उन्हें तहसील न्यायालय का अभिलेख आने तक तहसील न्यायालय के समक्ष लंबित प्रकरण की कार्यवाही स्थगित करना चाहिए थी, परन्तु उनके द्वारा कार्यवाही स्थगित नहीं करने में अवैधानिकता की गई है । यह भी कहा गया कि आवेदकगण की ओर से पारिवारिक व्यवस्था पत्र दिनांक 30–4–86 एवं व्यवहार न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई थी, जिसका यदि अनुविभागीय अधिकारी अवलोकन करते तब शंभुदयाल द्वारा फर्जी तरीके से प्रविष्टि कराकर आवेदकगण का हक छीना जाना स्पष्ट होता, परन्तु उनके द्वारा उपरोक्त दस्तावेजों का बिना परिशीलन किये आदेश पारित करने में भूल की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा फौती नामांतरण

की कार्यवाही मानकर आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है, जबकि वास्तव में प्रकरण फौती नामांतरण का नहीं है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्थगन का कोई औचित्य नहीं पाते हुए आवेदन पत्र निरस्त किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं है । यह भी कहा गया कि आवेदकगण तहसील न्यायालय में कार्यवाही नहीं होना देना चाहते हैं, और उनके द्वारा प्रकरण लंबित रखने के उद्देश्य से यह निगरानी प्रस्तुत की गई है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के समर्थन में अभिलेख का अवलोकन किया गया । आवेदकगण की ओर से तहसीलदार द्वारा की जा रही कार्यवाही पर अनुविभागीय अधिकारी से स्थगन की मांग की गई है, परन्तु उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष ऐसे कोई तथ्य अथवा वैधानिक स्थिति नहीं बतलाई गई है, जिससे कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में स्थगन दिया जाता । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदकगण का स्थगन आवेदन पत्र निरस्त करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । व्यवहार न्यायालय से प्रकरण में कोई अन्तरिम आदेश हुआ है, अतः उभय पक्ष को चाहिए कि वे तहसीलदार के समक्ष प्रचलित प्रकरण में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें । दर्शित परिस्थितियों में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, इटारसी द्वारा पारित आदेश दिनांक 5–8–2013 एवं तहसीलदार, इटारसी द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–8–2013 स्थिर रखे जाते हैं । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर